UPJL010026922026

Presented on : 19-05-2026
Registered on : 19-05-2026
Decided on : 06-06-2026
Duration :

IN THE COURT OF
ADJ I , Jalaun AT ORAI
(Presided Over by SATISH CHANDRA DWIVEDI)
Anticipatory Bail App/294/2026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1, जालौन स्थान उरई।
उपस्थितः सतीश चन्द्र द्विवेदी, {एच०जे०एस०}
द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 294/2026

शेर सिंह पुत्र शिवराम निवासी ग्राम ऐर थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन।
.....{अभियुक्त}

बनाम

सरकार उ.प्र. .....{लोक अभियोजक}

मु0अ0सं0–686/2025
धारा–319(2),318(4),338,336(3),
340(2)बी0एन0एस0
थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन।

दिनांक–06.06.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त शेर सिंह पुत्र शिवराम निवासी ग्राम ऐर थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन की ओर से मु0अ0सं0–686/2025, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में **द्वितीय अग्रिम जमानत** प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र के अनुसार उसका यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है।

2– द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री ह्रदेश कुमार पाण्डेय से तकों को सुना तथा थाने की आख्या व संबंधित पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों केस डायरी आदि का परिशीलन किया।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा बादशाह सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक, जालौन स्थान उरई को सम्बोधित करते हुए प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ''प्रार्थी ने मौजा गढ़र परगना उरई में शेर सिंह पुत्र शिवराम के माध्यम से गाटा संख्या–348 रकवा 4.8640 हे0 में से रकवा 1.2160 हे0 के हिस्सेदार रामकुमार पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द्र निवासी मुहल्ला रामनगर उरई थाना कोतवाली उरई जिला जालौन से उसके हिस्से की भूमि रकवा 0.4050 हे0 का इकरारनामा दिनांक 13.08.2025 को रजिस्ट्री कार्यालय उरई में कराया था, सम्पूर्ण लिखा पढ़ी रजिस्ट्री ऑफिस में बैठने वाले राकेश उर्फ कलू पुत्र सुरेश पटेल निवासी मुहल्ला उमरारखेरा (वैष्णवी टैण्ट हाउस के पास) कस्बा उरई

Digitally signed by SATISH CHANDRA DWIVEDI
Date: 2026.07.04 16:43:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के द्वारा की गयी तथा उक्त एग्रीमेंट में प्रार्थी द्वारा चैक संख्या 820454 व चैक संख्या 820455 इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा उरई की चैके क्रमशः तीन लाख तीस हजार रूपये की व एक लाख सत्तर हजार की उपरोक्त रामकुमार पुत्र स्व0 मूलचन्द्र को दी थी और उक्त चैकों का रूपया रामकुमार पुत्र मन्नीलाल निवासी ग्राम अमीटा द्वारा सम्पूर्ण धनराशि अपनी बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त कर ली तथा प्रार्थी से उपरोक्त शेर सिंह द्वारा अपने फोन में ऑनलाइन पचास हजार रूपये की धोखाधड़ी करके ले लिए थे इस प्रकार प्रार्थी से उपरोक्त सभी लोगों ने फर्जी आधार कार्ड तैयार कराकर और फर्जी तरीके से कूटरचित प्रपत्र तैयार कर और झूठे व फर्जी रामकुमार पुत्र मूलचन्द जैसा कि नाम खतौनी में दर्ज था। व्यक्ति को खड़ा करके फर्जी कूटरचित इकरारनामा कब्जाशुदा दूसरे की जमीन का प्रार्थी के हक में लिख दिया। प्रार्थी को जब जानकारी हुई तब प्रार्थी ने उपरोक्त संबंध में थाना कोतवाली उरई व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जालौन स्थान उरई व माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार को कई प्रार्थना पत्र दिए लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपरोक्त लोगों द्वारा धोखाधड़ी करके उसके रूपये हड़प लिए गए है। अत : प्रार्थी के साथ हुई धोखाधड़ी फर्जी आधार कार्ड तैयार कर किसी झूठे व्यक्ति को खड़ा करके झूठा इकरारनामा लिखाकर रूपया हड़प लेने के संबंध में मुकदमा दर्ज करवाये जाने की याचना की गयी। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त रामकुमार पुत्र मूलचन्द व शेर सिंह के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4– उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली उरई जिला जालौन में मु0अ0सं0–686/2025, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(1) बीएनएस के अर्न्तगत अभियुक्तगण रामकुमार व शेरसिंह के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस के अर्न्तगत प्रेषित किया गया।

5– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में इस आशय का अभिकथन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत हेतु यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दौरान विवेचना प्रस्तुत किया गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, विवेचना के उपरान्त यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके अलावा किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है। उसने तथाकथित अपराध कतई नहीं किया है व्यापारिक रंजिश के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। उक्त धाराओं में उसके विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। एग्रीमेंट में प्रार्थी/अभियुक्त न तो क्रेता है और न ही विक्रेता है, जबकि वादी मुकदमा के द्वारा रामकुमार से एग्रीमेंट कराया गया तथा रामकुमार को ही सम्पूर्ण रूपया बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया, इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त का एग्रीमेंट से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रकरण सिविल प्रकृति का है तथा सिविल वाद के माध्यम

से ही वादी अपना सम्पूर्ण रूपया वसूलने का अधिकारी है, वादी द्वारा रंजिशन उक्त झूठा मुकदमा लिखाया गया है। वादी द्वारा मुव0–50,000/–रूपये दिए गए, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी को मुव0–10,000/–रूपये दिए गए, इस प्रकार कई बार लेन–देन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त को वादी से मुव0–40,000/–रूपये लेना शेष निकलता है। उक्त रूपया न देना पड़े इसलिए उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम लिखवा दिया गया, जबकि वादी द्वारा स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त के साथ धोखाधड़ी व बेईमानी का कृत्य किया गया है। प्रार्थी/अभियक्त को थाना कोतवाली उरई की पुलिस द्वारा अपमानित एवं गिरफ्तार किए जाने की पूर्ण आंशका है इसलिए अग्रिम जमानत की आवश्यकता है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जमानत का रूपयोग नहीं करेगा। विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि उसको दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की कृपा करें, की याचना की गयी।

6– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में इसकी कोई भूमिका नहीं है न इनके खाते में किसी लेने–देन का कोई साक्ष्य है। अभियोजन द्वारा जो मुव0–50,000/–रूपये लेन–देन की बात की गयी है वह परीचाहत गारमेन्ट्स के पक्ष में है और व्यापारिक रिश्ते के कारण है। प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में संस्थित किया गया है। जबकि अभियोजन का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2025 को निरस्त किया जा चुका है। अन्य सह–अभियुक्त रामकुमार का भी जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र विद्ड्रा (वापस लेने) के आधार पर निस्तारित कर दिया गया था। मामले में किसी नये तथ्य का अथवा नयी परिस्थिति का कोई उल्लेख नहीं है। कारित अपराध की प्रकृति आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डनीय है।

7– अतः मामले के उपरोक्त समस्त वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियों में द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त शेर सिंह पुत्र श्री शिवराम निवासी ग्राम ऐर थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन की ओर से मु0अ0सं0–686/2025, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत **द्वितीय अग्रिम जमानत** प्रार्थना पत्र संख्या–294/2026**, निरस्त किया जाता है।**

दिनांक–06.06.2026

(सतीश चन्द्र द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–1,जालौन स्थान उरई।